रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228905
CG-DL-E-11082021-228905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943
No. 454] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 554(अ).—केन्द्रीय सरकार आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (2000 का 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त आप्रवास (वाहक दायित्व) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2007 में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**3. अपील करना. -** (1) इस संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा(1) में निर्दिष्ट अपील, इलेक्ट्रॉनिक तरीके या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे किसी अन्य तरीके से संदेय एक हजार रुपये के शुल्क के साथ वाहक या उसके एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित ऐसे अन्य तरीके से, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110002 के समक्ष की जाएगी।

(2) उप-नियम (I) के अधीन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवाएं, 117 - वीजा शुल्क, 01- गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली

वीजा सेवाओं के संबंध में संग्रह" शीर्ष के अधीन गृह मंत्रालय के बजट शीर्ष में जमा किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिरोपित जुर्माना उक्त धारा में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके या उक्त धारा में निदेशित आदेश में निर्देशित ऐसे किसी अन्य तरीके से जमा किया जाएगा और इसे '0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60- अन्य सेवाएं, 117- वीजा शुल्क, 01- गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वीजा सेवाओं के संबंध में संग्रह' शीर्ष के अधीन गृह मंत्रालय के बजट शीर्ष में जमा किया जाएगा।

[फा. सं. 25022/45/2021-एफ.I]

सुमंत सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 72(अ.), दिनांक 8 फरवरी, 2007 द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2007 प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427(अ.), तारीख 14 मई 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000 (52 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Immigration (Carriers' Liability) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Immigration (Carriers' Liability) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Immigration (Carriers' Liability) Rules, 2007, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Filing of appeal. -** (1) The appeal referred to in sub-section (1) of section 4 of the Act shall be preferred by the carrier or his agent or representative, in electronic mode or such other mode as may be laid down by the Central Government in this regard, before the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi – 110002, alongwith a fee of rupees one thousand payable through electronic mode or such other mode as may be laid down by the Central Government in this regard.

(2) The amount received as fees under sub-rule (I) shall be credited to the Budgetary Head of the Ministry of Home Affairs under the Head "0070-Other Administrative Services, 60 Other Services, 117 – Visa Fee, 01- Collection on visa services rendered by Ministry of Home Affairs.

(3) The penalty imposed under section 3 of the Act shall be deposited through electronic mode or in such other mode as may be directed in the order referred to in the said section and same shall be credited to the Budgetary Head of the Ministry of Home Affairs under the Head '0070-Other Administrative Services, 60- Other Services, 117- Visa Fee, 01- Collection on visa services rendered by Ministry of Home Affairs".

[F. No. 25022/45/2021-F.I]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.O. 72(E), dated the 8th February, 2007 published in the Official Gazette on 9th February, 2007 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 427(E). dated the 14th May 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.11 22:12:20 +05'30'